वेब परिचालन

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन

Employees' Provident Fund Organisation

(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)

(MINISTRY OF LABOUR & EMPLOYMENT, GOVERNMENT OF INDIA)

मुख्य कार्यालय/Head Office

भविष्य निधि भवन, 14, भीकाएजी कामा प्लेस, नई दिल्ली-110066

Bhavishya Nidhi Bhawan, 14, Bhikaiji Cama Place, New Delhi-110066

वैबसाईट/Website: www.epfindia.gov.in, www.epfindia.nic.in

संख्या : हि.अ/ति.प्र.रि./संगठन/2017 7768 दिनांक: 29 JUN 2017

सेवा में,

सभी प्रभारी आंचलिक (जोनल) कार्यालय/फील्ड कार्यालय/ पी.डी.यू.एन.ए.एस.एस./आंचलिक एवं उप आं.प्र.सं. ।

विषय: जून, 2017 को समाप्त तिमाही हेतु राजभाषा प्रगति रिपोर्ट के प्रेषण के संबंध में।

कृपया क.भ.नि.सं. की वेबसाईट के क्रम संख्या 126 (कार्यालय आदेश 2017-18) का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा राजभाषा प्रगति रिपोर्ट का संशोधित प्रपत्र परिचालित किया गया था।

इस संबंध में राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा परिचालित संशोधित प्रपत्र के आधार पर वर्ड फार्मेट में तैयार किया गया प्रपत्र एतदद्वारा संलग्न है। राजभाषा कार्यान्वयन समिति (संगठन) की 24वीं बैठक का आयोजन जुलाई, 2017 में किया जाना प्रस्तावित है। अत: यह निर्णय लिया गया है कि 30 जून, 2017 को समाप्त तिमाही की रिपोर्ट का समेकन यथाशीघ्र कर लिया जाए। इस संबंध में सभी जोनल कार्यालयों से अनुरोध है कि अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले सभी क्षेत्रीय कार्यालयों की समेकित रिपोर्ट अनिवार्य रूप से **10 जुलाई, 2017** तक dir.ol@epfindia.gov.in ई-मेल के माध्यम से संलग्न प्रपत्र में प्रेषित करवाने की व्यवस्था करें।

सभी फील्ड कार्यालयों से अनुरोध है कि 30 जून, 2017 को समाप्त होने वाली तिमाही के लिए राजभाषा तिमाही प्रगति रिपोर्ट अपने संबंधित जोनल कार्यालय को **05 जुलाई, 2017 तक अवश्य अग्रेषित कर दें** ताकि जोनल कार्यालय समेकित रिपोर्ट निर्धारित समायावधि अर्थात 10 जुलाई, 2017 तक मुख्यालय को प्रेषित कर सकें। आंचलिक/उप आंचलिक प्रशिक्षण संस्थान अपनी रिपोर्ट पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा अकादमी के माध्यम से समेकित रूप में प्रेषित करेंगे।

(अपर केन्द्रीय भ.नि. आयुक्त, प्रभारी राजभाषा के अनुमोदन से जारी)

भवदीय,

संलग्न: उपर्युक्त

(एम.पी.एस. राठौरिया)

उप निदेशक (राजभाषा)

राजभाषा तिमाही प्रगति रिपोर्ट

क्र.सं	कार्यालय का नाम	धारा 3 (3) के अंतर्गत जारी कागजात			हिंदी में प्राप्त पत्र (राजभाषा नियम-5)				अंग्रेजी में प्राप्त पत्रों के उत्तर हिंदी में दिए जाने की स्थिति (केवल "क" एवं "ख" क्षेत्र में स्थित कार्यालयों के लिए)							
		(1)			**(2)**				**(3)**							
		जारी कागजात की कुल संख्या (क)	द्विभाषी रूप में जारी कागजात की संख्या (ख)	केवल अंग्रेजी में जारी किए गए कागजात (ग)	हिंदी में प्राप्त कुल पत्रों की संख्या (क)	इनमें से कितनों के उत्तर हिंदी में दिए गए (ख)	इनमें से कितनों के उत्तर अंग्रेजी में दिए गए (ग)	इनमें से कितनों के उत्तर दिए जाने अपेक्षित नहीं थे (घ)	अंग्रेजी में प्राप्त पत्रों की संख्या		इनमें से कितनों के उत्तर हिंदी में गए		इनमें से कितनों के उत्तर अंग्रेजी में दिए गए		इनमें से कितनों के उत्तर अपेक्षित नहीं थे	
									"क" क्षेत्र	"ख" क्षेत्र	"क" क्षेत्र	"ख" क्षेत्र	"क" क्षेत्र	"ख" क्षेत्र	"क" क्षेत्र	"ख" क्षेत्र

राजभाषा तिमाही प्रगति रिपोर्ट

भेजे गए मूल पत्रों का ब्यौरा									(तिमाही के दौरान) फाइलों/दस्तावेजों पर लिखी गई टिप्पणियां (पृष्ठों की संख्या की गणना पूर्ण अंक एवं आधा अंक में ही की जाए)			हिंदी कार्यशालाएं (नोट: कार्यालय के समस्त कार्मिकों को दो वर्ष में कम से कम एक बार प्रशिक्षित किया जाना आवश्यक है)			विभागीय/ संगठनीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक के आयोजन की तिथि	बैठकों से संबंधित कार्यसूची और कार्यवृत्त क्या हिन्दी में जारी किए गए ? (हां /नहीं)	तिमाही में किए गए उल्लेखनीय कार्य/ उपलब्धियों का संक्षिप्त विवरण (अधिकतम 250 कैरेक्टर)
(4)									**(5)**			**(6)**			**(7)**		**(9)**
हिंदी में			अंग्रेजी में			भेजे गए पत्रों की कुल संख्या			हिन्दी में लिखी गई टिप्पणियों के पृष्ठों की संख्या	अंग्रेजी में लिखी गई टिप्पणियों के पृष्ठों की संख्या	कुल टिप्पणियों के पृष्ठों की संख्या	तिमाही के दौरान आयोजित पूर्ण दिवसीय कार्यशालाओं की संख्या	प्रशिक्षित अधिकारी	प्रशिक्षित कर्मचारी			
“क” क्षेत्र	“ख” क्षेत्र	“ग” क्षेत्र	“क” क्षेत्र	“ख” क्षेत्र	“ग” क्षेत्र	“क” क्षेत्र	“ख” क्षेत्र	“ग” क्षेत्र									